

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)
संख्या-166/20230 - भूमि सुधार, दिनांक - 28-06-2016

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रजहारा, थाना-नावाबाजार, थाना सं०-132, अंचल नावाबाजार, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना N.H-75 के कि०मी० 181 वें सदाबह नदी पर पुल निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- रजहारा, थाना-नावाबाजार, थाना सं०-132 अंचल नावाबाजार, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.6227 एकड़ यानि 0.252 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है


क्रम सं०	खाता सं०	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	24	1575	खतियान फटा है।	टाड़ II	0.0325	सरिता देवी, पति-रघुनन्द पाण्डेय, निवासी निज ग्राम	1575	1575	1575	1575
2.	24	1575	तदैव	टाड़ II	0.0110	तेतर देवी, पति-रामपूत प्रजापति, निवासी निज ग्राम	1575	1575	1575	1575
3.	24	1575	तदैव	टाड़ II	0.0180	नन्द जी पाण्डेय, पिता-गोविन्द पाण्डेय, निवासी निज ग्राम	1575	1575	1574	1575
4.	320	1574	तदैव	टाड़ II	0.0230	अनिरुध तिवारी, पिता-रामचरितर तिवारी, निवासी निज ग्राम	1574	1574	1574	1575
5.	320	1574	तदैव	टाड़ II	0.140	प्रयाग पाण्डेय, पिता-मथुरा पाण्डेय, निवासी निज ग्राम	1574	1576	1576	1575
6.	320	1576	तदैव	टाड़ II	0.0450	प्रयाग पाण्डेय, पिता-मथुरा पाण्डेय, निवासी निज ग्राम	1576	1576	1576	1576
7.	320	1576	तदैव	टाड़ II	0.0475	सुग्रीम महतो, पिता-जटाधारी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1576	1576
8.	320	1576	तदैव	टाड़ II	0.0450	उग्रीम महतो, पिता-जटाधारी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1576	1576
9.	320	1576	तदैव	टाड़ II	0.045	सुरेश महतो, पिता-जटाधारी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1576	1576
10.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.005	सुरेश महतो, पिता-जटाधारी महतो	1576	1582	1582	1582
11.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.005	चुटुर महतो, पिता-तुलसी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1582	1582
12.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.015	उषा देवी, पति-दयानन्द शर्मा, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1582	1582
13.	320 233	1576 1582	तदैव तदैव	टाड़ II	0.005 0.025	सुरेन्द्र महतो, विरेन्द्र महतो, अशोक महतो, योगेन्द्र महतो, पिता-रूपदेव महतो, निवासी निज ग्राम	1576 1576	1576 1582	1583 1582	1576 1582
14.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.0375	रामेश्वर महतो, कामेश्वर महतो, पिता-विदेशी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1582	1582
15.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.030	श्यामबिहारी महतो, धर्मेन्द्र महतो, पिता-सुखाडी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1582	1582


16.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.0250	रामेश्वर महतो, उदीत महतो, पिता-रामधनी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1582	1582
17.	233	1582	तदैव	टाड़ II	0.070	सुरेश महतो, सुग्रीम महतो, उग्रीम महतो, पिता-जटाधारी महतो, सुरेन्द्र महतो वैगरह पिता-रूपदेव महतो, चुटुर महतो, पिता-तुलसी महतो, श्यामबिहारी महतो वैगरह पिता-बिदेशी महतो, रामेश्वर महतो वैगरह पिता-रामधनी महतो, निवासी निज ग्राम	1576	1582	1583	1582


यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल नावाबाजार को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


25/6/16
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।


25/6/16
अपर समाहर्ता,
पलामू।


27/06/16
उपायुक्त, पलामू।